Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- प्रतापगढ आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया व दलाल राजमल (ई–मित्र संचालक) को 8000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 05 मार्च 2026, गुरुवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी प्रतापगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया व दलाल राजमल (ई–मित्र संचालक) को 8000/– रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक, श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि प्रतापगढ चौकी को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के मकान के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिये यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया 12,000/– रूपये की मांग कर दलाल राजमल हाडोती (ई मित्र संचालक) को देने के लिये कहा जिस पर दिनांक 27.02.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी श्री यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ने दलाल श्री राजमल (ई–मित्र संचालक) के मार्फत 12000/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई व 8000/– रूपये रजिस्ट्री करने से पहले व शेष राशि रजिस्ट्री करने के बाद देना तय हुआ।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह**, के सुपरविजन में एसीबी प्रतापगढ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया के लिए उसके दलाल राजमल (ई–मित्र संचालक) को 8000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है व दलाल राजमल (ई–मित्र संचालक) से आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी से जरिये मोबाईल वार्ता करवाई गई व आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि हेतु स्वीकृति व्यक्त की व रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर ई मित्र पर आकर करने हेतु कहां जिससे आरोपी श्री यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया की भुमिका संलिप्त होने से बाद पुछताछ ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।